मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

क्रमांक/बी-25/27/94/पी.डब्ल्यू.सी/चार

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,

समस्त कमिश्नर, म. प्र.

समस्त विभागाध्यक्ष, म. प्र.

समस्त कलेक्टर, म. प्र.

विषय :- शासकीय सेवकों की बाह्य सेवा में रहने के दौरान उनकी पेंशन और अवकाश वेतन की लागत के अंशदान की वसूली.

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों के बाह्य सेवा में रहने के दौरान उनकी पेंशन की लागत का अंशदान और अवकाश वेतन की लागत का अंशदान लेने की प्रथा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाये.

2. तद्नुसार मूलभूत अधिनियम के नियम 115 और 116 को विलोपित किया गया है, जिसकी अधिसूचना संलग्न है.

3. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक ई-4/3186/आर. 5/चार, दिनांक 21 अप्रैल, 1986 की कंडिका 12 और 13 को विलोपित करते हुए और ज्ञापन

क्रमांक 836/3622/85/नि-1/चार दिनांक 13-8-86

क्रमांक 189/3589/87/नि-1/चार दिनांक 25-4-88

क्रमांक 1810/1187/89/नि-6/चार दिनांक 6-7-89 और

क्रमांक 1067/2069/नि-6/चार/93 दिनांक 8-11-93

को निरस्त करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य शासन के सेवकों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों सहित के बाह्य सेवा पर होने की दशा में बाह्य नियोजकों से पेंशन और अवकाश वेतन की लागत का अंशदान न लिया जाय.

4. पूर्व प्रकरणों में जहां वसूली न हुई हो, अब वसूली न की जाय. क्योंकि मूलभूत नियम 115 और 116 विलोपित किये गये हैं, प्रत्येक प्रकरण में अलग-अलग आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है.

पृ.क्र./एफ. बी.25/27/पी.डब्ल्यू.सी /94/चार

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 1995

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, महा. राज्यपाल मध्यप्रदेश भोपाल.
   निबंधक, उच्च न्यायालय जबलपुर, म. प्र.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
   सचिव, लोकायुक्त भोपाल म. प्र.
   सचिव, म. प्र. विधान सभा सचिवालय भोपाल.
   नियंत्रक, शासकीय प्रेस भोपाल को राजपत्र में प्रकाशन के लिये.
2. महालेखाकार म. प्र. ग्वालियर (आडिट) प्रथम/द्वितीय.
   महालेखाकार (लेखा) प्रथम/द्वितीय, ग्वालियर /भोपाल.
   संचालक कोष एवं लेखा म. प्र. भोपाल.

संचालक पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण, म. प्र. भोपाल.

समस्त संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा म. प्र.

अवर सचिव (स्था.) सामान्य प्रशासन विभाग म. प्र.शासन.

अवर सचिव (अधीक्षण) सामान्य प्रशासन विभाग म. प्र.शासन.

लेखाधिकारी म. प्र. सचिवालय भोपाल.

समस्त वित्त अधिकारी/लेखाधिकारी/कोषालय अधिकारी, म. प्र.

3. राज्य पेंशनर्स कल्याण मण्डल के सभी सदस्य की ओर सूचनार्थ.

हस्ता./-

(एस. जी. लिमये)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.